प्रेस नोट
दिनांक 20.10.2024

चोरी की घटनाओं का खुलासा, 01 शातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे से 01 अदद चोरी की मोटरसाईकिल व 01 अदद चोरी की साइकिल बरामद-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री सौरभ वर्मा के नेतृत्व में थाना को0 नगर पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-697/24, धारा 303(2) बीएनएस, मु0अ0सं0-799/24, धारा 303(2) बीएनएस से सम्बन्धित चोरी की घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए 01 शातिर चोर- पिंटू कुमार पुत्र मनमोहन नि0 निहालपुरवा थाना कोतवाली नगर जनपद गोंडा को सर्किट हाउस के पास से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद चोरी की मोटरसाईकिल व निशानदेही से 01 अदद चोरी की साइकिल बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 17.09.2024 को वादी महमूद पुत्र सकूर नि0 फिरोजपुर थाना को0 देहात जनपद गोण्डा द्वारा थाना को0 नगर में लिखित तहरीर दी गयी कि उनकी मोटरसाइकिल को गोंडा कचहरी से किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी कर लिया गया है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना को0 नगर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ। आज दिनांक 20.10.2024 को थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान प्रकाश में आये आरोपी अभियुक्त पिंटू कुमार पुत्र मनमोहन को सर्किट हाउस के पास से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी की 01 अदद मोटरसाईकिल व निशानदेही से 01 अदद चोरी की साइकिल बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना को0नगर पुलिस द्वारा अग्रिम वैद्यानिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ के दौरान ज्ञात हुआ कि उक्त अभियुक्त आर्थिक लाभ कमाने हेतु चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया करता है। उक्त अभियुक्त ने दिनांक 09.09.2024 को गोण्डा कचहरी से पैशन प्रो मोटरसाईकिल चोरी की थी तथा कुछ दिन पूर्व ही उसने अपने चाचा के घर के पास से 01 साइकिल भी चोरी की थी। जिसके सम्बन्ध में पूर्व में थाना को0 नगर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत था।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. पिंटू कुमार पुत्र मनमोहन नियासी निहालपुरवा थाना कोतवाली नगर जनपद गोंडा।

अनावरित अभियोग-

01. मु0अ0सं0-697/24, धारा 303(2) बीएनएस बढोत्तरी धारा 317(2) बीएनएस थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।
02. मु0अ0सं0-799/24, धारा 303(2) बीएनएस बढोत्तरी धारा 317(2) बीएनएस थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. मु0अ0स0-697/24, धारा 303(2) बीएनएस से सम्बन्धित 01 अदद मोटरसाईकिल नम्बर-UP43AH1682

02. मु0अ0स0-799/24, धारा 303(2) बीएनएस से सम्बन्धित 01 अदद साइकिल।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

02. उ0नि0 केदारराम।

02. उ0नि0 राकेश कुमार।

03. उ0नि0 अविनाश सिंह।

04. हे0का0 मनोज यादव।

05. का0 अजय सरोज।

मीडिया सेल, गोण्डा।